सरायपाली। शहर सहित अंचल के सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों के प्रमुख गणेश पंडालों की मूर्तियां जिनकी पूजाअर्चना कर दी गई विदाई।

एसपी माथुर की कार्यवाही से अपराधियों के हौसले पस्त

रात्रि के समय खुद एसपी चेकिंग में हर चौक चौराहों का कर रही निरीक्षण

- असामाजिक तत्वों अपराधियों पर नकेल कसने से नागरिकों में सुरक्षा को लेकर राहत

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर
www.dailypioneer.com

शहर में बढ़ रहे लगातार अपराध, चाकूबाजी की घटनाएं हत्या मारपीट चोरी तथा साइबर क्राइम आदि की घटनाओं से पुलिस पर आ रही आज को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने स्वयं कमान संभाल कर रात भर पूरे शहर एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में गस्त और निरीक्षण करते हुए अपराधी तत्वों पर नकेल कसने और निगरानी सुधा बदमाशों की के साथ कड़ाई से पेश आने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने से शहर की जनता देर से सही राहत महसूस कर रही है और इसी तरह की कार्रवाई की अपेक्षा रख रही है ताकि आमजन सुकून के साथ रह सके। बिलासपुर की पुलिस इस समय फुल एक्शन में है। एसपी पारुल माथुर ऐसी कई जगहों पर अगुवाई करती हुई नजर आ रही है रात्रि के समय खुद गश्त कर रही है। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे ।इस उद्देश्य के साथ पूरे शहर एवं जिले की पुलिस पूरे एक्शन मै नजर रही है। बिलासपुर में कुछ दिनों से पुलिस की छवि को खराब करने की नीयत से प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों में चल रही छोटी छोटी मारपीट को बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था जिसके चलते पुलिस को एक्शन प्लान में उतरना पड़ा ओर विगत चार पांच दिनों से पुलिस शहर में आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया । शहर में हर थानो से बदमाशो को पकड़ने की कार्यवाही तेज कर दी गई ।हर थानों में दर्जनों हिस्ट्री शीटर, बदमाशो की धरपकड़ शुरू कर दी गई है ।खुद एसपी चौक चौराहों पर जांच के समय मौजूद रह रही है शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पूरी पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है जिससे अपराधियों के हौसले पस्त नजर आ रहे है ।

एसपी पारुल माथुर का एक्शन प्लान शुरू हुए अभी चार पांच दिन हुए है और शहर की जनता राहत महसूस करने लगी है कि पुलिस अपना काम जोर शोर से कर रही है ।चौक चौराहों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बन्द हो गया है ।शहर की जनता पारुल माथुर का शुक्रिया अदा कर रही है। वार्ड नम्बर 15 के नागरिक संदीप मिश्रा ने कहा कि कल रात वे कुछ काम से शहर में निकले देखा चारो तरफचेकिंग चल रही है। पुलिस रोक रोक कर पूछताछ कर रही है मुझे भी रोका गया मेने उन्हें पूरी जानकारी दी ओर उन्होंने जाने दिया। अच्छा लगा पुलिस की इतनी कड़ाई देखकर कि अपराधी बच कर नही निकल सकता। एसपी इसी तरह की कार्रवाई करते रहें। इसी तरह न जाने कितने महिला,पुरुष,छात्र छात्राएं इस कड़ाई को अपनी सुरक्षा महसूस कर रहे है और एसपी की प्रशंसा कर रहे।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर
www.dailypioneer.com

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के लिए आनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। योजना के अंतर्गत विद्यमान निजी एवं नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जैसे राईस मिल, पोहा मिल, केटल फीड, बेकरी, नमकीन उद्योग, रेडी-टू-इट उत्पाद, मसाला उद्योग, पापड़, बड़ी, आचार, मुरमुरा उद्योग, फुटा चना उद्योग आदि को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रति पात्र उद्योगों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी परन्तु अधिकतम 10 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है एवं लाभार्थी का कुल लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान राशि होगा एवं शेष राशि बैंक ऋण होगा।

सेवा सुगंधम ने गांव के गरीब बच्चों को बांटे कपड़े

पायनियर संवाददाता < भाटापारा
www.dailypioneer.com

सेवा सुगंधम सामाजिक जनकल्याण समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय ने बताया की ग्राम करही में गोडवाना भवन में सेवा सुगंधम द्वारा ग्राम के गरीब बच्चियों के लिए कपड़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे मुख्य अतिथि तिल्दा कृषि उपज मंडी अध्यक्ष के प्रतिनिधि पुनाराम वर्मा, सरफोगा कृषि मंडी के अध्यक्ष दिगेश्वर वर्मा शकुंतला बाघमार, उर्मिला धुर सरपंच खपराडीह खेमिन वर्मा, प्रगति मानिकपुरी उपस्थित थे सभी अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। सभी उपस्थित ग्राम के बच्चो को उपस्थित अतिथियों के हाथो कपड़ा वितरण किया गया। मुख्य अतिथि पुनाराम वर्मा ने अपने उदबोधन में कहा की सेवा सुगंधम के द्वारा छेत्र में निरंतर समाज के उत्थान के लिए समय समय पर लोगो को सेवा देने का काम के साथ ही विगत कई वर्षों से गांव की गरीब बेटियो की विवाह कराना संस्था के इस सराहनीय कार्य के लिए संस्था के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय को साधुवाद एवं बधाई दिया। ग्राम में मुख्यरूप से सरिता, लता गोस्वामी, माहेश्वरी, प्रतिमा, गोपेश्वरी स्वेता, नीतू, पुष्पा, हेमलता, जीना, पार्वती, रिचा उपस्थित थे ।

सुरेश भानुशाली बने गुजराती समाज के नए अध्यक्ष

पायनियर संवाददाता < भाटापारा
www.dailypioneer.com

सर्व गुजराती समाज की बैठक में समाज के नए अध्यक्ष के रूप में सुरेश भानुशाली की नियुक्ति की गई हैं। नगर के हर्षद रेस्टोरेंट सिटी मॉल में हुई बैठक में आगामी नवरात्रि पर्व पर विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया तथा नई कार्यकारणी का गठन किया गया। जिसमें सर्व सम्मति से अध्यक्ष सुरेश भाई भानुशाली, उपाध्यक्ष रमेश भाई श्रीमाली, सचिव मेहुल भाई चौहान, सह सचिव किशोर भाई श्रीमाली एवं गुंजन भाई कारिया, कोषाध्यक्ष गिरीश भाई केसरिया को नियुक्त किया गया है। वही समाज के संरक्षक गुणवंत भाई वाढेर, गोपाल भाई भानुशाली, जवाहर भाई सोलंकी एवं प्रकाश भाई सोनी को जवाबदारी दी गई है। गुजराती समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश भानुशाली ने अपनी नियुक्ति के लिए समाज के सभी वरिष्ठजनों के प्रति आभार जताते हुए उन्हें विश्वास दिलाया है कि समाज की सभी परम्पराओ को हमेशा तत्परता से आगे बढ़ाने प्रयत्नशील रहेंगे।

भूगोल बार के संचालक अंकित अग्रवाल को विशेष न्यायालय से नहीं मिली जमानत

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर
www.dailypioneer.com

पुलिस थाना चकरभाटा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध NDPS के तहत गिरफ्तार आरोपी अंकित अग्रवाल की जमानत याचिका विशेष न्यायालय NDPS कोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार 19 जून 2022 को अवैध मादक पदार्थ MDMA बेचते पकड़े गये आरोपी योगेश द्विवेदी उर्फराम भूगोल क्लब बार के मैनेजर के बयान और प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर भूगोल बार के संचालक अंकित अग्रवाल पिता राजेश अग्रवाल उम्र 36 वर्ष निवासी रामा लाइफ सकरी बिलासपुर को पुलिस ने पांच सितंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोनिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया था । आरोपी के वकील आलोक दुबे ने द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोनिक सब्सटेंस न्यायालय में जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी। केस डायरी प्रस्तुत होने पर न्यायाधीश नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोनिक सब्सटेंस ने आज 8 सितंबर 2022 को मामले की सुनवाई की । शासकीय अधिवक्ता घनश्याम प्रसाद चतुर्थी ने शासन का पक्ष रखा। पूरी जिरह और बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त अंकित अग्रवाल को जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लायें तेजी

पायनियर संवाददाता < बिलासपुर
www.dailypioneer.com

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज जिले में संचालित जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति की समीक्षा की। श्री पटेल ने जल जीवन मिशन के कार्यों में पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयश्री जैन सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने जल जीवन मिशन योजना की विकासखण्डवार कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए मैदानी स्तर पर योजना का क्रियान्वन तेजी से करने कहा। उन्होंने डीपीआर बनाने से लेकर कार्य आदेश जारी करने तक की प्रकिया की बारीकी से जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक जिले के 483 ग्राम पंचायतों के 668 गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि जिले के अंतर्गत 2 लाख 49 हजार 304 ग्रामीण घर है, इनमें से 67 हजार 69 परिवारों को जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल प्रदाय हो रहा है। मल्टी विलेज योजना के तहत चार योजनाएं जिले में संचालित है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने टेस्टिंग लैब की भी जानकारी ली। उन्होंने पानी समितियां गठित करने कहा। इसके साथ ही सभी अपूर्ण कार्यों के लिए जल्द ही कार्य आदेश जारी करते हुए समय-सीमा में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जायें।

जनसंख्या के साथ जमीनों की रजिस्ट्री की संख्या कई गुना बढ़ी

- ऐतिहासिक रजिस्ट्री आफिस तालाब में तब्दील

पायनियर संवाददाता < भाटापारा
www.dailypioneer.com

रजिस्ट्रीयुक्त जमीनों के खरीदी बिक्री से जुडे रजिस्ट्रार आफिस जिसके माध्यम से जहां शासन को सालाना 12 से 13 करोड़ राजस्व आय की प्राप्ति होती है परंतु उक्त भवन से संचालित होने वाला आफिस अब छोटा प्रतीत हो रहा है कारण 2005 के बाद से क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाने से जमीनों की रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या कई गुना बढ़ी है जिसके कारण लगभग 1970 में निर्मित यह भवन छोटा पड़ रहा है परंतु निर्माण के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका भवन अब बढ़ती संख्या के चलते छोटा हो रहा है जबकि सीजन मे जमीन से जुड़े क्रय विक्रय मामलों को लेकर लोगों की संख्या एक दिन में 100 से भी अधिक पार कर जाती है इसी के चलते अपाईनमेन्ट के हिसाब से लोगों को कुछ घंटों के अंतराल में समय दिया जाता है। वही बरसात के दिनों में इस अफिस के सामने पानी भर जाने से उक्त स्थल तालाबनुमा भी प्रतीत होता है जिससे लोगों को भारी असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। इसी सम्बंध मे मुख्य रजिस्ट्रार अधिकारी केके प्रधान से जानकारी लेने पर बताया गया कि 2 माह पहले नये रजिस्ट्रार भवन के निर्माण हेतु कलेक्टर व सम्बंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है जो कि तहसील अफिस के पास 10 हजार स्क्वेयर फीट में बनना प्रस्तावित है।

छात्र-छात्राओं की रैली निकाल कर साक्षरता के प्रति किया जागरूक

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के निर्देशन में नालसा के स्टेट प्लान ऑफ एक्शन के तहत विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स सोनिया सिंह, कु. प्राची तिवारी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा, शा. पूर्व मा. वि. जेवरा, गुनरबोड़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर ''विश्व साक्षरता दिवस'' के संबंध में छात्र-छात्राओं की रैली निकाल कर निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये बताया गया कि इस आधुनिक युग में साक्षरता का महत्वपूर्ण स्थान है, साक्षर होकर ही हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने हेतु सबल होते है, प्रत्येक व्यक्ति को साक्षरता हेतु प्रेरित रहने संदेश देते हुये विभिन्न कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अभियान ''प्रबंधन'' पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान की गई। उक्त अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं आमजनों को ''सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट'' के तहत कचरा प्रबंधन, सुखा कचरा एवं गिला कचरा के प्रकार को अलग अलग कर उन्हें रिसायकल करके पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु प्रेरित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विभिन्न उपयोगी कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदुषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के संबंध में जानकारी दी।

OMKARA
ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U67100TZ2014PTC020363
कार्पोरेट कार्यालय :– सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड बीकेसी अनेक्सी का जंक्शन, निकट इक्विनोक्स, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई–400070
फोन : 022–6544000/ 9773406175 वेबसाइट : www.omkaraarc.com

परिशिष्ट – 4–क (नियम 8(6) का परंतुक देखे) अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र भगवत प्रसाद सिंह, (स्वामी मैसर्स किंग्स स्पोर्ट) तथा सह–कर्जदारों/गारंटरों श्रीमती दीप्ति सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह, श्री प्रदीप भोई पुत्र रासनिहारी भोई को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार नामतः ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, आगे पंजीकृत समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 21–03–2022, के माध्यम से, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (एनएनएसबीएल) ने कर्जदार/सह–कर्जदारों/गारंटरों को उपलब्ध कराई गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में उक्त कर्जदारों एवं बंधकदाता, गारंटर के विरूद्ध वित्तीय आस्ति/सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि अधोवर्णित प्रतिभूतियों और उनके सभी अधिकारों एवं शक्तियों सहित, पीएस 47/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत ओएआरपीएल के पक्ष में पूर्णतया समनुदेशित और अंतरित कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, नगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने प्रतिभूत आस्ति का भौतिक कब्जा 29–01–2014 को ले लिया है।

तदनुसार, ओएआरपीएल ने नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (एनएनएसबीएल), मूल प्रतिभूत लेनदार का स्थान ले लिया है और बकाया राशि वसूल करने तथा प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने का हकदार हो गया है।

सम्पत्ति श्री वीरेन्द्र सिंह की तरफ 31–01–2022 तक बकाया राशि रूपए 82,96,000/– (रूपए बयासी लाख छियानवे हजार मात्र) + ब्याज एवं खर्चों की वसूली के लिए सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) और (4) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो भी है वहां है" और "कोई उपाय नहीं" आधार पर दिनांक 28–09–2022 को अप. 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक (बोलियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि और समय 27–09–2022 अप. 6.00 बजे तक है) बेची जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन, सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा और ज्ञान ऋणभार (यदि कोई) निम्नानुसार हैं :

सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्री वीरेन्द्र सिंह के नाम केएच नंबर 50/8, प्लॉट नंबर 188/2 पर परिवर्तित आवासीय नजूल भूमि और उस पर निर्माण, मौजा तेलीबंधा, मदर टेरेसा वार्ड, वार्ड नंबर 43, आनंद नगर, पीएच नंबर 113, परिमाप 1000 वर्ग फीट, आरआईसी रायपुर, तहसील और जिला रायपुर	रू. 36,40,000/–	रू. 3,64,000/–
ई–नीलामी की तिथि :– 28–09–2022 को अप. 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक		
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि :– रू. 1,00,000/– (रूपए एक लाख मात्र)		
प्रतिभागिता का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय :– 27–09–2022 अप. 6.00 बजे तक		
निरीक्षण की तिथि :– 23–09–2022 को अप. 1.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच		
ज्ञात देयताएं :– ज्ञात नहीं		

यह प्रकाशन कर्जदारों/सह–कर्जदार को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिन का नोटिस भी है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट http://omkaraarc.com/auction.php में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें। प्राधिकृत अधिकारी सम्पर्क विवरण : 9773406175, बोलीदाता वेबसाइट http://www.bankeauction.com भी देख सकते हैं अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., फोन हेल्पलाइन : हेल्पलाइन : +91-7291981124/25/26 ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com, श्री हरेश गोडा, मोबाइल : 95945 97555, ई–मेल : hareesh.gowda@c1india.com से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 09–09–2022
स्थान : रायपुर
ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओंकारा पीएस 47/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)

कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न हो

कलेक्टर ने किया जिले में विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा

- खाद्य अधिकारी एवं जनपद पंचायत के सीईओ को सख्त निर्देश
- जिजीविषा कार्यक्रम के अपार सफलता पर की अधिकारी-कर्मचारियों के कार्यों की सराहना

पायनियर संवाददाता < बालोद
www.dailypioneer.com

कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष बालोद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यो की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्यो को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में डॉ. सिंह ने अभी हाल में ही 7 और 8 सितम्बर को अधिक से अधिक युवा-युवतियो को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय बालोद में जिजीविषा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित एम्पलॉय-एम्पलॉयर्स मीट की अपार सफलता पर जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियो के कार्यो की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय एवं सीमित प्रचार-प्रसार के उपरांत भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा-युवतियों की उपस्थिति तथा नियोजक संस्थाओ के द्वारा 501 अभ्यर्थियो का चयन निश्चित रूप से जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैठक में पुलिस अधिक्षक जितेन्द्र कुमार यादव, वनमंण्डलाधिकारी आयुष जैन, जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। निर्माणाधीन कार्यो को शीध्र पूरा करने के निर्देश-बैठक में डॉ. सिंह ने जिले के नगरीय निकायों में साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रतिदिन नगर भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियो को गंदा पानी की निकासी एवं साफ सफाई की व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिये हैं।

स्वामी आत्मानंद आदर्श विद्यालयों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चो को उनके निवास स्थान से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित आत्मानंद आदर्श विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत बच्चो का अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश राजस्व अधिकारियो एवं जिला शिक्षाधिकारी को दिए है। बैठक में कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नही होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक पेंशन एवं मजदूरी भुगतान, अविवादित नामांतरण आदि के प्रकरणो का भी शीध्र निराकरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी निर्माणाधीन कार्यो को शीध्र पूरा करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा उन्होने स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, अस्पताल, पटवारी मुख्यालय आदि को बेहतर बनाने तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।